

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर रीवा कैम्प  
नंगो ०५२९५/२०१८/रीब। | अ०५५४

95

संभाग रीवा (म०प्र०)



भारतीय निवासी  
दाता पंक्ति ३०.८.१८  
म०प्र०

रामसेवक पटेल तनय हरिवंश प्रसाद उम्र करीब ५१ वर्ष पेशा खेती निवासी  
कैलाशपुर तहसील हनुमना थाना हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. हिंचलाल तनय परानू कोल
2. बच्चेलाल तनय परानू कोल
3. मोहन तनय जगन कोल
4. छोहन तनय जगन कोल
5. अवधशरण तनय गुलम्धर पटेल

सभी निवासी कैलाशपुर थाना तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय एवं आदेश माननीय अपर  
कलेक्टर रीवा प्रकरण क्रमांक १७/स्व०  
निगरानी/अ-१९/१५-१६ आदेश दिनांक १२.०२  
२०१८

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व  
संहिता १९५९

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

यह कि आराजी न० ८२९ रकवा लगभग २९ एकड़ अंश  
रकवा ५.५ एकड़ मे संहिता की धारा २३९ (२) अनुसार बृक्षारोपण किये जाने  
हेतु व्यवस्थापन आवेदन प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय तहसीलदार  
हनुमना ने विधिवत सुनवाई पश्चात निर्मित नियमों पटवारी, प्रतिवेदन  
अनुसार न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक ८५ए/१९/९६-९७ आदेश दिनांक १८.

92

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5295-रीवा/118 जिला-रीवा

राम सेवक पटेल विरुद्ध अभियान ५१४

(1)	(2)	(3)
18.12.18.	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला..... के प्रकरण क्रमांक 17/त्क/रीवा/अ.19/15.1.6 में पारित आदेश दिनांक 12.2.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ११-१-१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p>सदस्य</p> 	